

## प्रेस नोट दिनांक 03.09.2022 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

**विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट/ बीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्रीधर चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवासी ग्राम सेहरी पोस्ट लखनापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

### संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-

दिनांक 15.02.22 को वादी मुकदमा के द्वारा सूचना दी गयी कि मदन मोहन मालवीय ई0कालेज के पास विदेश भेजने वाली स्काई लाइन आफिस के संचालक श्रीधर चौहान, विशाल मिश्रा तथा अन्य लोग व उसके मकान मालिक के विरुद्ध वादी मुकदमा व उनके अन्य 30 साथियों से विदेश भेजने के नाम पर जालसाजी व धोखाधड़ी कर कूटरचित, फर्जी बीजा बनाकर दिया जिसके एवज में सभी लोगो से 30- 30 हजार रुपये कुल 9 लाख 60 हजार रुपये आनलाइन पेमेन्ट व नगद माध्यम से हड़पने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त श्रीधर चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवासी ग्राम सेहरी पोस्ट लखनापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को रानीडिहा चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ में अभियुक्त उपरोक्त बता रहा है कि मैं पास कोई काम नहीं था मैं बेरोजगार होने का कारण नौकरी की तलाश कर रहा था तभी मेरी मुलाकात इण्टरनेट के जरिये विशाल मिश्र पुत्र रविन्द्र मिश्रा निवासी कामता जनपद महाराजगंज से हुई तब विशाल मिश्रा ने मुझे फोन किया कि हमलोग मिलकर लोगो को विदेशो में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये लेंगे और रुपये लेने के बाद फर्जी टिकट व बीजा देंगे विशाल मुझसे कहा कि तुम ऑफिस में बैठना और मैं दुबई में अच्छे अच्छे कम्पनियो का ऑफर दूंगा तथा उसके बाद तुम लोगो को बताते रहना कि कम्पनी में अच्छी सैलरी है लोगो को झांसे में लेकर उनसे रुपये हड़प लेना और जो भी कमाई होगी हमलोग आपस में बराबर बराबर बाँट लेगे। तब मैंने लालच में आकर रानीडिहा में एक विदेश भेजने के लिए स्काई लाइन टेस्ट एण्ड ट्रेनिंग सेण्टर के नाम से एक सेण्टर खोला। मैंने विदेश भेजने के नाम पर करीब 30-40 लोगो को फर्जी टिकट व बीजा देकर प्रत्येक से 30,000/- रुपये हड़प लिये और विशाल के हिस्से का रुपया उसे देकर मैं स्काई लाइन ट्रेनिंग सेण्टर को बन्द कर दिया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

श्रीधर चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवासी ग्राम सेहरी पोस्ट लखनापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 108/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अमित चौधरी चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अवनीश पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 विनोद कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर